न्यायालय– न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सारण,छपरा।

जांच वाद सं– 406/21, परिवाद वाद सं–235/2020

सी.आई.एस. अभिलेख निबन्धन सं–235/2021

सुनील कुमार .....परिवादी।

बनाम्

अनुज कुमार व अन्य एक.....अभियुक्तगण।

परिवादी के तरफ से विद्वान अधिवक्ताः–श्री पवन कुमार श्रीवास्तव एवं वेद प्रकाश।

आदेश

17.08.21 वाद आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया। मैं यह पाता हूँ कि प्रस्तुत परिवादपत्र सुनील कुमार (परिवादी) द्वारा कुल दो अभियुक्तगण अनुज कुमार एवं ब्रजेश सिंह के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा– 147, 148, 323, 341 तथा 420 के अन्तर्गत विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, छपरा के न्यायालय में दायर किया गया है। जिसे दं0प्र0सं0 की धारा–192(2) के अन्तर्गत जांच एवं निष्पादन हेतु इस न्यायालय में भेजा गया है।

परिवादी का सशपथ बयान लिया गया। इसके साथ परिवादी की ओर से अपने परिवादपत्र के समर्थन में एक जांच साक्षियों साक्षी सं–1 अश्वनी कुमार सिंह का साक्ष्य कराया गया है। साथ में पैसे की लेनदेन का छायाप्रति भी संलग्न किया गया है।

परिवादी द्वारा अपने परिवादपत्र में कथन किया गया है कि मुदई और मुदालहम नं0 2 का भाई पुराने मित्र हैं। मुदालहम नं0 2 अपने भाई के साथ मुदई के दुकान पर जाकर मुदई को दुकान विस्तारन करने का प्रलोभन देकर अपने कंपनी अशोका ग्रेट इन्फ्रो एडीाईजर प्रा0 लि0 नोयडा से लोन दिलवाने को कहा तथा कंपनी का फॉर्म भरकर मुदई से 3550 रूपया लेकर रजिस्ट्रेशन कर दिया और कुछ दिनों बाद कंपनी के खाता नं0 20492831309 में 3550 रूपया डालने को कहा। ऐसे–ऐसे करके मुदालह ने मुदई से 77 हजार रूपया ले लिया। उसके बाद मुदालह ने मुदई से बोला आपका 6 लाख रूपया का लोन पास हो गया अपने बैंक में जाकर चेक कर लें। जब मुदई बैंक मे गया तो उसके खाता में लोन का कोई रूपया नहीं आया था। तब मुदई, मुदालह नं0 1 से बात किया तो वह मोबाईल के जरिए मैसेज किया कि अपने ग्रांटर ब्रजेश सिंह मुदालह नं0 2 से बात करें। मुदालह नं0 2 को फोन किया तथा घर जाकर मिलने की कोशिश की लेकिन वह टालमटोल करता रहा।

परिवादी ने परिवादपत्र का समर्थन करते हुए अपने सशपथ बयान में कहा है कि घटना 18.01.2021 समय 10 बजे दिन की है। उस समय मुदई अपने दुकान पर था। मुदालह ब्रजेश कुमार उनके दुकान पर आये और 6 लाख रूपया का लोन पास करवाने के नाम पर मुदई से 77 हजार रूपया अनुज के एकाउंट में जमा करवा दिये। ब्रजेश तथा अनुज दिनांक 18.01.2021 से एक माह पहले बोले कि आपका लोन पास हो गया है। मुदई का कोई लोन पास नहीं हुआ और ब्रजेश तथा अनुज को दिसंबर 2020 में नोटिस भेजा था लेकिन उसका आज तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। दुकान विस्तार करने के लिए लोन लेने गये थे लेकिन मुदई को पता नहीं था कि लोन लेने के लिए 70–77 हजार रूपया देना पड़ता है। अशोका द ग्रेट बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया था। उस बैंक फाइनेंसर ब्रजेश है। आज तक मुदई को पता नहीं कि ब्रजेश ने किसी के पक्ष में आज तक फाइनांस किया है या नहीं। सभी संबंधित कागज मुदई ने न्यायालय में दाखिल किया है।

परिवादी साक्षी सं–1 अश्वनी कुमार सिंह (मुदई का साला) हैं, जिन्होंने कहा है कि यह घटना 18.01.2021 को 10 बजे सुब ह की है। वह अयोध्या नगर गये हुए थे वहां मुदालह आये थे तथा हल्ला–गुल्ला कर रहे थे। मुदई ने मुदालह को 77 हजार रूपया दिये थे उसी पैसे को लौटाने को लेकर वाद–विवाद हुआ है। उसके बाद मुदालह ने धमकी दिया कि इस बावत कोई मुदकामा करोगे तो तुम्हें मारेंगे। साक्षी के उपस्थिति में 20 हजार रूपया दिया गया था। शेष रकम एकाउंट में द्वारा दिया गया था जो मेरे उपस्थिति में नहीं दिया गया। मुदई तथा मुदालहम आपसी थे तथा बैंक लोन प्राप्त करने हेतु यह पैसा कर्ज के रूप में लिये थे। मुदालह अशोका फाइनांस बैंक का स्टाफ है।

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/BRSR020006632021/truecopy/order-1.pdf

अभिलेख तथा जांच साक्षियों के साक्ष्य तथा इस वाद में दाखिल दस्तावेज के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मुदालह नं0 1 तथा 2 जो अशोका द ग्रेट बैंक के कर्मचारी हैं उनके द्वारा 6 लाख रूपये का लोन दिलाने के लिए राजीव कुमार के एकाउंट में 77 हजार रूपया ट्रांसफर कराया गया है जिसमें से 63578 रूपया का पुष्टि दाखिल दस्तावेज से भी स्पष्ट होता है, परंतु इन लोगों के द्वारा कोई भी लोन मुदई के पक्ष में सेंक्सन नहीं किया गया है, परंतु एक गलत सेंक्सन लेटर मुदई के दिया गया है जो कि अभिलेख के साथ संलग्न हैं। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि मुदालह द्वारा राजीव कुमार के नाम पर इन लोगों ने 63578 रूपया लोन दिलाने के एवज में प्राप्त किया गया। लोन सेंक्सन लेटर भी इसू किया गया , परंतु कोई भी लोन एकाउंट में जारी नहीं किया गया जिससे प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि दोनों मुदालहम ने मिलकर इनके साथ छल किया है। भा0द0वि0 की धारा 420 के अलावा अन्य धाराये जैसे कि 147, 148, 323 तथा 341 में भी आरोप लगाया गया है, परंतु अभिलेख के अवलोकन से तथा जांच साक्षियों के साक्ष्य से इन धाराओं की पुष्टि नहीं होती है तथा इन धाराओं को लेकर साक्षियों के साक्ष्य में सामानता नहीं है।

प्रस्तुत जांच वाद में परिवादी के साक्ष्य एवं प्रस्तुत जांच साक्षियों के साक्ष्य के अवलोकन के उपरान्त परिवादपत्र में नामित सभी दोनों अभियुक्तगण अनुज कुमार एवं ब्रजेश सिंह के विरूद्ध धारा– 420 /34 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत कार्यवाही का पर्याप्त आधार पाते हुए उन्हें विचारण हेतु सम्मन का आदेश किया जाता है तथा परिवादी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह दिनांक 05.09.2021 तक अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु आवश्यक आपेक्षिताऐं दाखिल करें एवं कार्यालय लिपिक को यह निर्देशित किया जाता है कि वे परिवादी द्वारा उचित आपेक्षिताऐं दाखिल होने के बाद उपरोक्त दो अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु सम्मन निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 30.09.2021 को अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु प्रस्तुत करें।

लेखापित

ह0

न्या0दण्डा0, प्रथम श्रेणी,छपरा।

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/BRSR020006632021/truecopy/order-1.pdf